न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

प्रकरण संख्याः 2023/14

साहबराम

बनाम

ओमप्रकाश

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के अर्न्तगत

निर्णय दिनांकः–02.04.2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि सहीराम पुत्र ओमप्रकाश द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि रोही मौजा 6 आर.पी.एम. के पत्थर न. 294/400 के मुरब्बा नम्बर 89 के किला नम्बर 25/1 उतर से दक्षिण रक्बा 0.0130 है0 गैर मुमकिन रास्ता जो न्यायालय सहायक कलक्टर एवम् उपखण्डाधिकारी नोहर के आदेश की पालना में नामांतरकरण 994 दिनांक 09.11.2023 से दर्ज रिकॉर्ड हुआ जिसे खुलवाने बाबत प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जा कर पटवारी हल्का से रिकार्ड एवं मौका रिपोर्ट प्राप्त कि गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर 294/400 के मुरब्बा नम्बर 89 के किला नम्बर 25/1 उतर से दक्षिण रक्बा 0.0130 है0 गैर मुमकिन रास्ता पर सरसों फसल काश्त है वर्तमान में उक्त रास्ता चलन में नही है। अप्रार्थी ओमप्रकाश को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस स्वंय से तामील होकर प्राप्त हुआ है ओमप्रकाश द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त नामा. संख्या 994/09.11.23 की अपील अपर जिला कलेक्टर नोहर जैरकार है एवम् अप्रार्थी को उक्त नामां. 994 के खारिज होने की पुरी–पुरी उम्मीद है अतः उक्त रास्ता ना खुलवाया जावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, हल्का पटवारी रिपोर्ट दिनांक 20.12.2023 एवम् अप्रार्थी ओमप्रकाश द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोन उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुचा हूं कि रोही मौजा 6 आर. पी.एम. के पत्थर न. 294/400 के मुरब्बा नम्बर 89 के किला नम्बर 25/1 उतर से दक्षिण रक्बा 0.0130 है0 गैर मुमकिन रास्ता जो वर्तमान में बंद है को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत खुलवाया जाना उचित है। पटवारी हल्का पिचकराई एवम् भू.अभिलेख निरीक्षक जसाना को आदेश जारी हो कि वह किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि ना हो तो प्रश्नगत गै०मुमकिन के रास्ते को खुलवावे अगर मौका पर फसल काश्त हो तो उसे ध्वस्त करवाकर खुलवाया जावे। पुलिस सहायता कि आवश्यकता हो तो थानाधिकारी पुलिस थाना फेफाना से सहयोग प्राप्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 02.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(भार्गवी सान्दू R.T.S.)
तहसीलदार राजस्व
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhargavi Sandu
Date: 2024.08.06 12:24:24 IST
Reason: SelfAttested